



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.08.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर मे रोड एक्सीडेन्ट में मृत्यु के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1700/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-112/1998 धारा 279, 304-ए, 337, 338, 427 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त छविनाथ पाल पुत्र हरिपाल निवासी अहरड थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-31.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-06 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त छविनाथ पाल उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1700/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।